

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

105375 - कुरआन के हक की कसम खाने का हुक्म

प्रश्न

कुरआन के हक (अधिकार) की कसम खाने या शपथ लेने का क्या हुक्म है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

“कुरआन के हक (अधिकार) की कसम खाना (या शपथ ग्रहण करना) किसी के लिए भी अनुमेय नहीं है। क्योंकि कुरआन का हक (अधिकार) यह है कि हम उसका सम्मान करें, उसका पालन करें और यह विश्वास करें कि वह महिमावान अल्लाह की वाणी है। और ये सब हमारे कार्यों में से हैं, और मख्लूक की या उसके कार्यों की कसम नहीं खाई जाती। बल्कि, केवल महिमावान अल्लाह की, या उसके नामों में से किसी नाम या उसके गुणों में से किसी गुण की कसम खाई जाती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : (जो व्यक्ति कसम खाना चाहे, वह केवल अल्लाह की कसम खाए, या फिर चुप रहे।”

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ (सामर्थ्य) प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह हमारे पैगंबर मुहम्मद, उनके परिवार और उनके साथियों पर दया एवं शांति अवतरित करे।” उद्धरण समाप्त हुआ।

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ ... शैख अब्दुर्रज़ाक अफ़ीफ़ी ... शैख अब्दुल्लाह बिन गुदय्यान ... शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद।

“फ़तावा अल-लज्जह अद-दाईमह लिल-इफ़ता” (24/363).

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।